अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मऊ के मऊ, मुहम्मदाबाद घोसी एवं दोहरीघाट रेंज के अर्न्तगत विभिन्न स्थानों पर ब्रिकगार्ड निर्माण हेतु ईट (द्वितीय श्रेणी), सीमेंट, सफेद बालू की आपूर्ति हेतु निविदा दिनांक 17.09.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे, तक निम्न विवरण के अनुसार मोहरबन्द निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है। । निविदा सम्बन्धित प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 17.09.2016 से 29.09.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में रू0 500.00 (पॉच सौ रूपये मात्र) नकद जमा करके दिनांक 28.09.2016 तक निविदा प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक सामग्रियों के आपूर्ति हेतु निविदा अलग-अलग भी डाली जायेगी। दिनांक 29.09.2016 अपरान्ह 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रभागीय कार्यालय में खोली जायेगी किसी भी समय समस्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। टेण्डर खोलते समय टेण्डरदाता उपस्थित रह सकते है।

ब्रिकगार्ड निर्माण हेतु

क्र0 सं0	सामग्री का विवरण	अनुमानित संख्या (घट बढ़ सकती है)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	सामग्रियां उपलब्ध कराने का स्थान
1	ईट द्वितीय श्रेणी	35,54,408.00	4,05,200.00	जनपद मऊ में मऊ, मुहम्मदाबाद घोसी एवं दोहरीघाट रेंज
2	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट (पी.पी.सी)	16,865 बोरी	1,04,600.00	
3	सादा बालू	2,439 घ.मी.	26,800.00	

निविदा सम्बन्धित शर्तें:-

1- सामग्रियां अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियुक्त पासिंग अधिकारी द्वारा पास की जायेगी और पासिंग के उपरान्त पासिंग सुदा सामग्रियाँ स्वीकार की जायेगी।

2- ठेकेदार को पासिंग हेतु अपने व्यय पर साइट पर समिग्रियां उलट-पलट कर दिखानी होगी और पासिंग अधिकारी को दिखाकर संतुष्ट करना होगा। पासिंग के उपरान्त पास सुदा सामग्रियों का भण्डार को अवगत कराना होगा।

3- निविदा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ के नाम पर होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर निविदा वास्ते सामग्री आपूर्ति अवश्य लिखा होना चाहिए। उक्त निविदा प्रभागीय कार्यालय में दिनॉक 29.09.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त हो जानी चाहिए।

4- निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी (धरोहर धनराशि) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/काल डिपाजिट जो प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ के पक्ष में निरूपित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना इसके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5- सामग्रियां निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए।

6- जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार होगी/स्वीकृत पत्र मिलने के तुरन्त बाद आपूर्ति धनरारशि के मूल्य का 10% बतौर जमानत प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ के नाम काल डिपाजिट/बैंक ड्राफ्ट के रूप में निरूपित कराकर प्रभागीय कार्यालय में जमा करना होगा।

7- आपूर्ति आदेश मिलने पर दस दिन के अन्दर आपूर्ति करनी होगी तथा दस दिन के अन्दर आपूर्ति पूर्ण करनी होगी।

8- आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री की मात्रा घट-बढ़ सकती है।

9- निविदादाता के पास सम्बन्धित सामग्री की सप्लायर का व्यवसाय करने की समस्त नियम सुसंगत एवं वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण होने के सम्बन्ध में अभिलेख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

10– निविदादाता यदि कोई भागीदार हो तो भागीदारी के समस्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा।

11– व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा।

12– आयकर की अद्यावधिक रिटर्न पैन कार्ड तथा आयकर क्लीयरेंस के प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रति प्रस्तुत करना होगा।

13– निर्धारित समय के अन्दर सप्लाई पूर्ण करनी होगी अन्यथा अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकारी होगा कि वे आपूर्ति आदेश निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त कर लें।

14– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ को अधिकार होगा कि प्राप्त निविदा की दरें निम्न होने के बावजूद भी एक अथवा समस्त निविदा बिना किसी कारण बताये निरस्त कर दें और टेण्डर दाता का बकाये की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

15– ठेकेदार का भुगतान करते समय नियमानुसार बिल से समस्त कर जैसे आयकर, व्यापार कर स्टाम्प शुल्क व अन्य ततसम्बन्धी देयों की धनराशि काट ली जायेगी।

16– टेण्डर में निविदादाता को अपना पूर्ण पता स्थाई तथा अस्थाई तथा रजिस्ट्रेशन नं0 एवं पैन नं0/टैन नं0 स्पष्ट रूप से अभिलेख सहित प्रस्तुत करना होगा।

17– किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर वन विभाग के वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़ का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

18– निविदादाताओं को सामग्रियों की आपूर्ति के सम्बन्ध में पंजीकृत होना चाहिए।

19– प्रस्तुत दर में शुल्क एवं कर आदि का विवरण भी देना होगा।

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ।

पत्रांक 545/15–1(टेण्डर), दिनांक : मऊ, सितम्बर 17 /2016.

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र उ0प्र0, गोरखपुर।
2. वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
3. जिलाधिकारी, मऊ।
4. समस्त प्रभागीय निदेशक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
5. जिला सूचना अधिकारी, मऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी मऊ।
7. एन.आई.सी., मऊ।
8. प्रभारी स्टोर शाखा, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि टेण्डर की समस्त कार्यवाही सम्पन्न करायें।
9. कार्यालय अधीक्षक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ/सम्बन्धित पत्रावली।
10. नोटिस बोर्ड।

17/9/16

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ।

\\Priyanka\d\Office\STORE\Tender.doc